रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 2014/फाल्गुन 23, 1935
No. 131] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 2014/PHALGUNA 23, 1935

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 184(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक एवं तार भवन निर्माण—कार्य (समूह 'क') सेवा नियमवाली, 1994 में और संषोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

1. (i) इन नियमों को डाक एवं तार भवन निर्माण—कार्य (समूह 'क') सेवा (संषोधन) नियमावली, 2014 के नाम से जाना जाएगा ।

 (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाषन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. डाक एवं तार भवन निर्माण—कार्य (समूह 'क') सेवा नियमावली, 1994 के नियम 7 (सेवा का भविष्य में रख—रखाव) में।

 उप नियम (5) दूसरी पंक्ति में 'चयन' षब्द के पष्चात् 'योग्यता पर' षब्दों को हटा दिया जाएगा ।

[सं.- 24-1/2014-सीडब्ल्यूजी]

निठाली राम, अवर सचिव (सीडब्ल्यूजी)

टिप्पणी :—मुख्य नियमावली नामतः डाक एवं तार भवन निर्माण कार्य (समूह 'क') सेवा नियमावली, 1994 का प्रकाषन दिनांक 15 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 395 द्वारा भारत के राजपत्र में किया गया था जिसे बाद में दिनांक 6 दिसंबर, 1997 की सा.का.नि. संख्या 390 द्वारा संषोधित करने के लिए भारत के राजपत्र के भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) में प्रकाषित किया गया था ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department Of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

G.S.R. 184(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Posts & Telegraphs Building Works (Group 'A') Service Rules, 1994, namely :—

1. (i) These rules may be called the Posts & Telegraphs Building Works (Group 'A') Service (Amendment) Rules, 2014

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Rule 7 (Future Maintenance of the Service) of Posts & Telegraphs Building Works (Group 'A') Service Rules, 1994.

In sub-rule (5) second line, after the word "selection" the words "on merit" shall be omitted.

[No. 24-1/2014-CWG]

NITHALI RAM, Under Secy. (CWG)

Note : The principal rules viz., the Posts & Telegraphs Building, Works (Group 'A') Service Rules, 1994 were published in the Gazette of India *vide* notification No. G.S.R. 395, dated 15th July, 1994 and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 390 dated 6th December, 1997 published in the Gazette of India in Part II, Section 3 Sub-Section (i).

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.